मु0न0:— 02 / 2005 उनवान:— सत्तार बनाम राजस्थान राज्य

न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी:— अनिल कुमार चौधरी (आर0ए0एस0)

निर्णय दिनांक 10/10/2023

मु0न0 02 / 2005 ता0रजू 16.03.2022

1. सत्तार खॉं पुत्र तययब खॉं जाति मुसलमान निवासी करमोदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
2. तहसीलदार महोदय सवाई माधोपुर
3. भू प्रबन्ध अधिकारी महोदय टोंक

प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत इस्तकरार हक व निरस्तीकरण

1. वादी की और से :— श्री गजानन्द गोयल एड0

:— निर्णय —:

वादी ने एक वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वादी ने आराजी खसरा नम्बर 112 मिन रकबा 4 बीघा वाके ग्राम हलोदा तहसील सवाई माधोपुर को भॅवरसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति रजापूत निवासी जटवाडा खुर्द से दिनांक 10.02.1992 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, तभी से वादी उक्त आराजीयात में काश्त करता चला आ रहा है एवं काबिज है। रजिस्टर्ड विकय पत्र एवं कब्जे के आधार पर प्रतिवादी नम्बर 1 व 3 के अधीनस्थ सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सवाई माधोपुर श्री हनुमान प्रसाद ने वादी के नाम दिनांक 02.06.1993 को वादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार भॅवरसिंह के स्थान पर दर्ज हुआ। प्रतिवादी नम्बर 3 ने तथाकथित परिपत्र कमाक 2915 दिनांक 25.10.2000 का हवाला देते हुऐ वादी की उक्त खातेदारी की भूमि को बिना वादी को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये रेवेन्यु रिकार्ड में दिनांक 27.11.2002 को सिवायचक घोषित कर दिया एवं सिवायचक घोषित करने से पूर्व पटवारी हल्का से रिपोर्ट तक नही ली तथा खसरा गिरदावरी का रिकार्ड भी नही देखा एवं यह भी ध्यान नही दिया कि 25.10.2000 को तथा कथित परिपत्र वादी के मामले पर लागु नही होता है, वादी को उक्त आदेश की जानकारी पटवारी हल्का हलोंदा द्वारा दिनांक 19.07.2004 को बताने पर हुयी है इस कारण प्रतिवादी नम्बर 3 दिनांक 27.11.2002 निरस्त होने योग्य है। अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाई जावे कि आराजी खसरा नम्बर 112 मिन रकबा 4 बीघा वाके ग्राम हलोदा तहसील सवाई माधोपुर का वादी खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रतिवादी नम्बर 3 द्वारा जारी तथाकथित आदेश दिनांक 27.11.2002 निरस्त फरमाया जावे तथा उसके तहत की गई कार्यवाही नामान्तकरण आदि निरस्त फरमाई जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबनद फरमाया जावे कि वे वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.12 13:56:26 IST
Reason: SelfAttested

अनिल कुमार चौधरी
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 112 मिन रकबा 4 बीघा के कब्जे काश्त मे न तो स्वयं बाधा उत्पन्न करें न किसी से करावें।

उक्त प्रकरण में सुनवाई करते हुऐ पूर्व में इस न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर दिनांक 09.01.2013 को निर्णय पारित किया जिसमें अंकित किया गया कि "वादी सत्तार खॉ द्वारा भॅवरसिंह पुत्र प्रतापसिंह से जो जमीन खरीदी गयी थी उसका साबिक खसरा नम्बर 112 था। सत्तार खॉ वादी का कब्जा साबिक खसरा नम्बर 112 पर न होकर साबिक खसरा नम्बर 114 पर है। साबिक खसरा नम्बर 112 पर सत्तार खॉ वादी का कब्जा न होने के कारण भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भू प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान खातेदारी समाप्त कर दी गयी थी। वादी सत्तार खॉ का वर्तमान में कब्जा साबिक खसरा नम्बर 112 पर न होकर के खसरा नम्बर 114 पर है। जिसके नवीन खसरा नम्बर 248 एवं 248/1735 बने है। जो राजस्व रिकार्ड में सिवायचक लगानी व गैर मुमकिन चाह दर्ज है। इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर वादी का कब्जा सिवायचक भूमि पर होने के कारण वादी अपने वाद पत्र को सिद्व करने में कतई असफल रहा है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारिज केया जाता है"

उक्त आदेश की अपील वादी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर को की गयी। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 04.04.2014 में आदेश दिया है कि " क्त प्रकरण मे एक बार तहसीलदार भूप्रबन्ध अधिकारी के स्तर से मौका का सर्वे कराया जाकर पोर्ट तैयार कर जिला कलेक्टर को प्रस्तुत की जावे। सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी द्वारा तैयार की गई पोर्ट जिसमें आवंटी का कब्जा नही होना बताया है अपूर्ण प्रतीत होती है जबकि तहसीलदार साबिक राजी खसरा नम्बर 114 में कब्जा होना बताते है। अतः तहसीलदार भू प्रबन्ध अधिकारी से रिपोर्ट ा कर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को को रिमाण्ड किया जाता है। नस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाता है। प्रशासनिक/न्यायिक स्तर से कार्यवाही कर चित रूप से निर्णय पारित करें। "

वादी का वाद पत्र पुन' दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रकरण में तहसीलदार सवाई माधोपुर की र्ट तलब की गयी। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रकरण ंदी चौसाला सम्बत 2041—44 खाता संख्या 87 नामान्तकरण संख्या 4 निर्णय दिनांक 02.06.1992 क खसरा नम्बर 112 रकबा 4 बीधा सत्तार खॉ पुत्र तैयब खॉ के नाम से खातेदारी दर्ज नही है। पर खसरा नम्बर 248/1.07, 248/1735 रकबा 0.01 कुल किता 2 रकबा 1.08 पर वादी का होना बताया जो साबिक खसरा नम्बर 114 से बने है। उक्त खसरा नम्बर मोजूदा रिकार्ड में चक में दर्ज है। खसरा नम्बर 112 के नवीन खसरा नम्बर 246, 247, 24[illegible] बने है जो मुताबिक ो सम्बत 2059—79 के अनुसार सिवायचक दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.12 13:56:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में वकील वादी की बहस सूनी। वकील वादी ने अपने वाद पत्र के आधार बहस करते ताया है कि वादी ने आराजी खसरा नम्बर 112 मिन रकबा 4 बीधा वाके ग्राम हलोदा तहसील माधोपुर को भॅवरसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति रजापूत निवासी जटवाडा खुर्द से दिनांक 10.02.

अनिल कुमार चौधरी
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

992 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, तभी से वादी उक्त आराजीयात में काश्त करता चला आ रहा है एवं काबिज है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं कब्जे के आधार पर प्रतिवादी नम्बर 1 व 3 के अधीनस्थ सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सवाई माधोपुर श्री हनुमान प्रसाद ने वादी के नाम दिनांक 02.06.1993 को वादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार भँवरसिंह के स्थान पर दर्ज हुआ। प्रतिवादी नम्बर 3 ने तथाकथित परिपत्र क्रमांक 2915 दिनांक 25.10.2000 का हवाला देते हुऐ वादी की उक्त खातेदारी की भूमि को बिना वादी को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रेवेन्यु रिकार्ड में दिनांक 27.11.2002 को सिवायचक घोषित कर दिया। वादी की खातेदारी भूमि को बिना किसी सुनवाई करते हुऐ है खातेदारी अधिकारी खत्म कर देना न्यायोचित नहीं है अतः वादी वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया एवं प्रकरण में वकील वादी की बहस सूनी। प्रकरण में वादी ने आराजी खसरा नम्बर 112 मिन रकबा 4 बीघा वाके ग्राम हलोदा तहसील सवाई माधोपुर को भँवरसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी जटवाडा खुर्द से दिनांक 10.02.1992 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, तभी से वादी उक्त आराजीयात में काश्त करता चला आ रहा है एवं काबिज है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं कब्जे के आधार पर प्रतिवादी नम्बर 1 व 3 के अधीनस्थ सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सवाई माधोपुर श्री हनुमान प्रसाद ने वादी के नाम दिनांक 02.06.1993 को वादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार भँवरसिंह के स्थान पर दर्ज हुआ। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी की उक्त खातेदारी की भूमि को बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिये रेवेन्यु रिकार्ड में दिनांक 27.11.2002 को सिवायचक घोषित कर दिया जो गलत है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

वादी का दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिकारी नियम बाबत इस्तकरार हक व निरस्तीकरण कार्यवाही स्वीकार किया जाता है। वादी ने आराजी खसरा नम्बर 112 मिन रकबा 4 बीघा वाके ग्राम हलोदा तहसील सवाई माधोपुर को भँवरसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी जटवाडा खुर्द से दिनांक 10.02.1992 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, उसका नामान्तकरण संख्या 4 निर्णय दिनांक 02.06.1992 द्वारा वादी का नाम अमल में किया गया था। परन्तु भू प्रबन्ध की गलती से उक्त आराजीयात सिवायचक दर्ज कर दी गयी जो गलत है। अतः तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम हलोन्दा के नामान्तकरण संख्या 4 निर्णय दिनांक 02.06.1992 का नवीन राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत न तो स्वयं करे ना अन्य से करावें। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करे। तद्नानुसार डिक्री जारी की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/10/2013 को मेरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.12 13:56:26 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर